पंचायती राज संस्थाओ एवं स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचन से सम्बंधित पूछे जाने वाले कुछ सामान्य प्रश्न के ऊत्तर आम जनता की जानकारी/सुविधा हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गये है । यदि इन प्रश्नों से सम्बंधित कोई शंका हो तो मूल अधिनियमों व् इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों का सन्दर्भ देखा जाए । यह प्रश्नोत्तर किसी भी परिस्थिति में न्यायालयों में सन्दर्भ के लिए नहीं हैं।

<u>क्रम</u> संख्या	<u>प्रश्</u>	पंचायती राज संस्थाओ से सम्बंधित उत्तर	नगर निगम से सम्बंधित उत्तर	नगर पालिकाओं से सम्बंधित उत्तर
1	मतदाता सूची में नाम	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	दर्ज करने के लिए क्या	(निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम	नियम, 2012 के नियम 16 (ड.)	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	आयु सीमा निर्धारित है?	14 (ड.) अनुसार मतदाता सूची में	अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज करने	17 (क) अनुसार मतदाता सूची में
		नाम दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन	के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा	नाम दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन
		आयोग द्वारा अहर्ता दिनांक को 18 वर्ष	अहर्ता दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण	आयोग द्वारा अहर्ता दिनांक को 18
		की आयु पूर्ण होनी चाहिए 🛛 अहर्ता	होनी चाहिए 🛘 अहर्ता दिनांक आयोग	वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए ፲
		दिनांक आयोग द्वारा समय समय पर	द्वारा समय समय पर घोषित की जाती है	अहर्ता दिनांक आयोग द्वारा समय
		घोषित की जाती है	1	समय पर घोषित की जाती है
2	मतदाता सूची में नाम	मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए	मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए	मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के
	दर्ज करने के लिए	कोई भी पात्र व्यक्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी	कोई भी पात्र व्यक्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी	लिए कोई भी पात्र व्यक्ति पुनरीक्षण
	आवेदन किस अधिकारी	(Revising Authority) के	(Revising Authority) के	प्राधिकारी (Revising

	के पास किया जा सकता	पास प्रपत्र -2 पर अपना आवेदन दे	पास प्रपत्र -4 पर अपना आवेदन दे सकता	Authority) के पास प्रपत्र -4
	है तथा कितने दिनों के	सकता है तथा आवेदन का निपटारा	है तथा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के	पर अपना आवेदन दे सकता है तथा
	भीतर आवेदन पर	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित	भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी	आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर
	निर्णय किया जाना	अवधि के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी	(Revising Authority) द्वारा	पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising
	होता है ?	(Revising Authority) द्वारा	आवेदन का निपटारा किया जाना होता है	Authority) द्वारा आवेदन का
		आवेदन का निपटारा किया जाना होता है	1	निपटारा किया जाना होता है ।
		1		
3	मतदाता सूची में नाम	प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के	प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के	प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज
	दर्ज करने के लिए कोई	लिए कोई भी फीस देय नहीं हैं	लिए कोई भी फीस फीस देय नहीं हैं	करने के लिए कोई भी फीस फीस देय
	फीस देय होती है ?			नहीं हैं
4	मतदाता सूची में दर्ज	प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता के नाम	प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता के नाम	प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता के
	मतदाता के नाम पर	पर आपति करने के लिए कोई फीस देय	पर आपति करने के लिए कोई फीस देय	नाम पर आपति करने के लिए कोई
	आपति करने के लिए	नहीं होती है ।	नहीं होती है ।	फीस देय नहीं होती है ।

	कोई फीस देय होती है			
	?			
<u>5</u>	प्रारूप मतदाता सूची में	प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किसी	प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किसी	प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किसी
	दर्ज किसी मतदाता के	मतदाता के नाम पर आपति केवल वही	मतदाता के नाम पर आपति केवल वही	मतदाता के नाम पर आपति केवल वही
	नाम पर कौन आपति	मतदाता कर सकता है जिसका नाम पहले	मतदाता कर सकता है जिसका नाम पहले	मतदाता ही कर सकता है जिसका
	कर सकता है ?	से उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में	से उस नगर निगम की मतदाता सूची	नाम पहले से उसी नगरपालिका की
		दर्ज है	में दर्ज है	मतदाता सूची में दर्ज है ।
<u>6</u>	प्रारूप मतदाता सूची	सम्बंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी	सम्बंधित पुनीरीक्षण प्राधिकारी	सम्बंधित पुनीरीक्षण प्राधिकारी
	में सम्बंधित पुनरीक्षण	(Revising Authority) द्वारा	(Revising Authority) द्वारा	(Revising Authority)
	प्राधिकारी	पारित आदेशों के विरुद्ध अपील जिला	पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सम्बंधित	द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील
	(Revising	निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं	सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
	Authority) के	जिला उपायुक्त के पास दायर की जा	उप–मंडलाधिकारी (ना0) के पास	अधिकारी एवं उप –मंडलाधिकारी
	आदेशों के विरुद्ध अपील	सकती है । यह अपील सम्बंधित	दायर की जा सकती है । यह अपील	(ना0) के पास दायर की जा सकती

कितने दिनों के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आवेदन सम्बंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा है । यह अपील सम्बंधित प्नीरीक्षण एवं किस अधिकारी के अस्वीकृत करने के 7 दिनों के भीतर आवेदन अस्वीकृत करने के 3 दिनों के प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत पास दर्ज की जा सकती करनी होती है तथा इसके लिए कोई भी भीतर करनी होती है तथा इसके लिए करने के 7 दिनों के भीतर करनी होती है तथा इस के लिए शल्क देय नहीं है । जिला निर्वाचन कोई भी शुल्क देय नहीं है | निर्वाचक | है तथा इसके लिए कोई भी शुल्क देय कितनी फीस देनी होती अधिकारी (पंचायत) द्वारा अपील का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप नहीं है । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण है एवं अपील का निपटारा 7 दिनों के भीतर किया जाना मंडलाधिकारी (ना0) द्वारा अपील का अधिकारी एवं उप –मंडलाधिकारी निपटारा कितने दिनों के निपटारा 7 दिनों के भीतर किया जाना होता है । (ना0) द्वारा अपील का निपटारा 7 भीतर किया जाना होता होता है । दिनों के भीतर किया जाना होता है । है ? जी हाँ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज क्या कोई पात्र व्यक्ति जी हाँ हिमाचल प्रदेश नगर निगम जी हाँ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अंतिम रूप से प्रकाशित (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम निर्वाचन नियम , 2012 के नियम 26 निर्वाचन नियम , 2012 के नियम मतदाता सूची में नाम अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता 24 अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित 28 अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित दर्ज करवा सकता है? सूची में नाम दर्ज करवाने हेत् नामांकन मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेत्

तक कोई भी निर्धारित अंतिम दिनांक से 8 दिन
निर्वाचक पूर्व तक कोई भी पात्र मतदाता
एवं उप – सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
को मत बनाने के अधिकारी एवं उप –मंडलाधिकारी
इन कर सकता है (ना0) को मत बनाने के लिए प्रपत्र
ाता सूची में नाम विच्या पर आवेदन कर सकता है ा
रूपए का शुल्क अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम
दर्ज करने के लिए 50 रूपए का शुल्क
देय है⊥
ट्रीकरण सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
धिकारी (ना0) अधिकारी एवं उप –मंडलाधिकारी
रुद्ध अपील (ना0) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध

	आदेशों के विरुद्ध अपील	निर्वाचन आयुक्त के पास दायर की जा	सम्बंधित मण्डलायुक्त के पास दायर	अपील सम्बंधित मण्डलायुक्त के पास
	कितने दिनों के भीतर	सकती है । यह अपील सम्बंधित	की जा सकती है   यह अपील सम्बंधित	दायर की जा सकती है   यह अपील
	एवं किस अधिकारी के	अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के	अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के	सम्बंधित अधिकारी द्वारा आवेदन
	पास दर्ज की जा सकती	10 दिनों के भीतर करनी होती है तथा	10 दिनों के भीतर करनी होती है तथा	अस्वीकृत करने के 10 दिनों के भीतर
	है तथा इस के लिए	इसके लिए 20 रूपये का शुल्क देना	इसके लिए 50 रूपये का शुल्क देना	करनी होती है तथा इसके लिए 50
	कितनी फीस देनी होती	होता है   ऐसी अपील के निपटारे के	होता है । ऐसी अपील के निपटारे के लिए	रूपये का शुल्क देना होता है । ऐसी
	है एवं अपील का	लिए अधिनियम व् नियम में कोई समय	अधिनियम व् नियम में कोई समय सीमा	अपील के निपटारे के लिए अधिनियम
	निपटारा कितने दिनों के	सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।	निर्धारित नहीं की गयी है ।	व् नियम में कोई समय सीमा निर्धारित
	भीतर किया जाना होता			नहीं की गयी है ।
	है ?			
9	क्या कोई व्यक्ति अंतिम	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	रूप से प्रकाशित	(निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम	नियम, 2012 के नियम 28 अनुसार	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	मतदाता सूची का	26 अनुसार कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप	कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप से प्रकाशित	30 अनुसार कोई भी व्यक्ति अंतिम
_	रूप से प्रकाशित	(निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम	नियम, 2012 के नियम 28 अनुसार	निर्वाचन नियम , 2015 के नि

	निरिक्षण करने व् प्रति	से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण	मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है	रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का
	प्राप्त करने के लिए	कर सकता है व् 5 रुपए प्रति पृष्ठ की दर	व् 10 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से मतदाता	निरीक्षण कर सकता है व् 10 रुपए
	सक्षम है ?	से मतदाता सूची को प्राप्त भी कर सकता	सूची को प्राप्त भी कर सकता है ।	प्रति पृष्ठ की दर से मतदाता सूची को
		है		खरीद भी सकता है ।
10	स्थानीय निकायों के	स्थानीय निकायों के निर्वाचन लडने के	स्थानीय निकायों के निर्वाचन लडने के	स्थानीय निकायों के निर्वाचन लडने के
	निर्वाचन लडने के लिए	लिए आयु सीमा 21 वर्ष है तथा नामांकन	लिए आयु सीमा 21 वर्ष है तथा नामांकन	लिए आयु सीमा 21 वर्ष है तथा
	आयु सीमा क्या है तथा	पत्रों की छंटनी के दिनांक को प्रत्याशी की	पत्रों की छंटनी के दिनांक को प्रत्याशी की	नामांकन पत्रों की छंटनी के दिनांक को
	किस दिनांक को यह	यह आयु पूर्ण होनी चाहिए ፲	यह आयु पूर्ण होनी चाहिए ፲	प्रत्याशी की यह आयु पूर्ण होनी चाहिए
	आयु पूर्ण होनी चाहिए			I
	?			
11	आयु सीमा के अतिरिक्त	यदि कोई व्यक्ति प्रधान , उप-प्रधान या	यदि कोई व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड़ना	यदि कोई व्यक्ति सदस्य नगर पंचायत
	चुनाव लड़ने के लिए	सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस	चाहता है तो उस नगर निगम की	या नगर परिषद् का चुनाव लड़ना

कौन-2 सी योग्ताएँ ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम मतदाता सूची में नाम होना चाहिए तथा चाहता है तो उस नगर पंचायत या होना चाहिए ፲ वह हिमाचल प्रदेश नगर निगम नगर पालिका की मतदाता सूची में है? इसी तरह यदि कोई व्यक्ति पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 8 में नाम होना चाहिए तथा वह हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है वर्णित अयोग्यताओं में अयोग्य न हो । तो उस व्यक्ति का नाम उस पंचायत 1994 की धारा 16 में वर्णित समिति से सम्बन्धित किसी भी ग्राम अयोग्यताओं में अयोग्य न हो । पंचायत की मतदाता सूची मे होना चाहिए जिला परिषद् का चुनाव लड़ने के लिए उस जिला से सम्बन्धित की किसी भी गाम पंचायत की मतदाता सूची मे नाम दर्ज होना चाहिए I इसके अतिरिक्त वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम , 1994 की

		धारा 122 में वर्णित अयोग्यताओं में		
		अयोग्य न हो ⊥		
12	नामांकन पत्र में	प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जिसका	प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जिसका	प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है
	प्रस्तावक कौन हो	नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में	नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में	जिसका नाम उस वार्ड की मतदाता
	सकता है ?	पंजीकृत हो जंहा से कोई प्रत्याशी पंचायत	पंजीकृत हो जंहा से कोई प्रत्याशी चुनाव	सूची में पंजीकृत हो जंहा से कोई
		सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या जिला	लड़ना चाहता है ।	प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है ।
		परिषद् सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है		
		। प्रधान एवं उप -प्रधान के चुनाव की		
		स्तिथि में प्रस्तावक ग्राम पंचायत के		
		किसी भी वार्ड का हो सकता है ।		
<u>13</u>	क्या प्रत्याशी का नाम	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
	किसी व्यक्ति द्वारा			
	प्रस्तावित किया जाना			

	अनिवार्य है ?			
<u>1</u> 4	यदि किसी आरक्षित पद	प्रत्याशी द्वारा जाति से सम्बंधित की गयी	प्रत्याशी द्वारा जाति से सम्बंधित घोषणा	प्रत्याशी द्वारा जाति से सम्बंधित
	के लिए चुनाव लड़ा	घोषणा ही पर्याप्त होती है तथापि किसी	की जानी अनिवार्य होती है तथा राज्य	
	जाना है तो क्या उस	व्यक्ति द्वारा आक्षेप किए जाने पर सक्षम	सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी	तथा राज्य सरकार के सक्षम
	वर्ग की जाति का प्रणाम	प्राधिकारी द्वारा जारी जाति का प्रणाम	जाति का प्रणाम पत्र भी नामांकन पत्र	प्राधिकारी द्वारा जारी जाति का
	पत्र होना अनिवार्य है?	पत्र दिखाना अनिवार्य होता है ⊥	के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होता है ፲	प्रणाम पत्र भी नामांकन पत्र के साथ
				सलंग्न करना अनिवार्य होता है ፲
<u>15</u>	अदेय प्रणाम पत्र (No	अदेय प्रणाम पत्र ग्राम पंचायत के पंचायत	नगर निगम के निर्वाचन के लिए अदेय	सदस्य नगर पंचायत या नगर पालिका
	Certificate) कैसे प्राप्त करे ?	सचिव द्वारा जारी किया जाता है ፲	प्रणाम पत्र अनिवार्य नहीं है ।	के निर्वाचन के लिए अदेय प्रणाम पत्र
				अनिवार्य नहीं है ।
16	क्या अदेय प्रणाम पत्र	पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों	नगर निगम के निर्वाचन के लिए अदेय	सदस्य नगर पंचायत या नगर पालिका
	सभी निर्वाचनों के लिए	के लिए पंचायत सचिव द्वारा जारी अदेय	प्रणाम पत्र अनिवार्य नहीं है ।	के निर्वाचन के लिए अदेय प्रणाम पत्र
	अनिवार्य है ?	प्रणाम पत्र होना आवश्यक है   परन्तु इस		अनिवार्य नहीं है ।

		बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि		
		किसी व्यक्ति ने पहले पंचायत समिति या		
		जिला परिषद् का प्रतिनिधित्व किया हो		
		तो ऐसी स्थिति में इस प्रणाम पत्र को		
		सचिव, पंचायत समिति या सचिव ,		
		जिला परिषद् द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित		
		करवाना अनिवार्य होता है ፲		
<u>17</u>	अनुबन्ध-1 शपथ	ग्राम पंचायत सदस्य , उप-प्रधान तथा	पार्षद नगर निगम का चुनाव लड़ने के	सदस्य नगर पंचायत या नगर पालिका
	पत्र/ घोषणा पत्र को	प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए	लिए अनुबन्ध -1 शपथ पत्र / घोषणा	का चुनाव लड़ने के लिए अनुबन्ध -1
	कौन प्रतिहस्ताक्षरित	अनुबन्ध-1 शपथ पत्र / घोषणा पत्र	पत्र किसी दंडाधिकारी या शपथ आयुक्त से	शपथ पत्र / घोषणा पत्र किसी
	कर सकता है?	किसी भी राजपत्रित अधिकारी से	प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है	दंडाधिकारी या शपथ आयुक्त से
		प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जा सकता है	I	प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य
		जबिक पंचायत समिति सदस्य एवं जिला		होता है 1
		जबिक पंचायत समिति सदस्य एवं जिला		होता है ፲

		<u></u>	<u></u>	<u>,                                      </u>
		परिषद् पद का चुनाव लड़ने के लिए इसे		
		किसी दंडाधिकारी या शपथ आयुक्त से		
		प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है		
		I		
18	क्या कोई व्यक्ति एक से	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,	नगर निगम निर्वाचन में कोई भी व्यक्ति	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन
	अधिक पदों के लिए	1994 की धारा 123 अनुसार कोई भी	एक से अधिक पदों के लिए चुनाव नहीं	नियम, 2015 के नियम धारा 53
	चुनाव लड़ सकता है ?	व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए चुनाव	लड़ सकता है ।	अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक
		लड़ सकता है परन्तु एक से अधिक पदों पर		पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है
		चुनाव जीतने की स्थिति में चुनाव		
		परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के		
		भीतर सम्बंधित उपायुक्त को जो विहित		
		प्राधिकारी हैं , को सूचित करना होगा		
		कि निर्वाचित व्यक्ति किस पद पर रहना		
		चाहता है ⊥		

क्या कोई व्यक्ति जो 19 जलवाहक, सेल्समेन cooperative सोसाइटी एवं मिड डे मील वर्कर है चुनाव लड़ सकता है ?

अनुसार जो व्यक्ति किसी किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है: वह चुनाव नहीं लड़ सकता है | अत: उक्त तीनों श्रेणियां चुनाव लड़ने के अयोग्य है ।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक

1994 की धारा 122 (1) ( छ) के | 1994 की धारा 8(2) (ट) के अनुसार | 1994 की धारा 16(1) ( छ) के पंचायत या जो व्यक्ति किसी नगर निगम या किसी अनुसार जो व्यक्ति किसी नगरपालिका स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार सहकारी सोसायटी अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर केन्द्रीय या उपक्रम के नियोजन या सेवा में है: वह नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर चुनाव नहीं लड़ सकता है । अत: उक्त तीनों श्रेणियां चुनाव लड़ने के अयोग्य है ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम , हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , राज्य उपक्रम के नियोजन या सेवा में है: वह चुनाव नहीं लड़ सकता है । अत: उक्त तीनों श्रेणियां चुनाव लड़ने के अयोग्य है ।

		या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए या नियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी)		
		कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नहीं होगा।}		
20	क्या कोई व्यक्ति जिसे लोक सेवा से हटाया	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 122 (1) ( च) के	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 8(2) (झ) यदि किसी	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1994 की धारा 16(1) (च) के
	गया हो चुनाव लड़	अनुसार यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य	व्यक्ति को लोक सेवा से हटाया गया हो	अनुसार यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य
	सकता है ?	कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से लोक सेवा से हटाया गया हो तो ऐसा	तो ऐसा व्यक्ति चुनाव नही लड़ सकता है	कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से लोक सेवा से हटाया गया हो तो
		व्यक्ति चुनाव नही लड़ सकता है ।		ऐसा व्यक्ति चुनाव नही लड़ सकता है
				I
21	स्थानीय निकायों का	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	चुनाव लड़ने के लिए	(निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम	नियम, 2012 के नियम 38 (1)	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम

प्रतिभूति राशी कितनी	37 अनुसार सभी पदों के लिए प्रतिभूति	(ख) अनुसार प्रतिभूति राशि निम्न	39 (1) अनुसार प्रतिभूति राशि
है ?	राशि (Security Deposit)	प्रकार से है :-	निम्न प्रकार से है :-
	निम्न प्रकार से है :-	सामान्य श्रेणी - 3000 रुपए;	सामान्य श्रेणी - 2500 रुपए;
	(क) पंचायत सदस्य = 100 रूपए	यदि प्रत्याशी महिला, अनुसूचित जाति/	यदि प्रत्याशी अनुसूचित जाति /
	सामान्य श्रेणी ; यदि प्रत्याशी महिला ,	अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित है तो -	अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित है तो
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन	2000 रुपए।	-1250 रुपए।
	जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है		
	तो 50 रूपए		
	(ख) उप-प्रधान, प्रधान एवं		
	पंचायत समिति सदस्य = 150 रूपए		
	सामान्य श्रेणी के लिए यदि प्रत्याशी		
	महिला, अनुसूचित जाति / अनुसूचित		
	जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग से		

सम्बंधित है तो 75 रूपए | (ग) जिला परिषद् सदस्य = 200 रूपए सामान्य श्रेणी ; यदि प्रत्याशी महिला, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछडा वर्ग से सम्बंधित है तो 100 रूपए । स्थानीय निकायों में 22 यदि कोई महिला / अनुसूचित जाति / यदि कोई महिला / अनुसूचित जाति / यदि कोई अनुसूचित जाति अनारक्षित पद पर यदि अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित कोई अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग कोई महिला से सम्बंधित कोई व्यक्ति अनारक्षित पद व्यक्ति अनारक्षित पद पर चुनाव लड़ती कोई व्यक्ति अनारक्षित पद पर चुनाव अनुसूचित जाति पर चुनाव लड़ती है / लड़ता है तो उसे है / लड़ता है तो उसे उस पद तथा उस लड़ती है / लड़ता है तो उसे उस पद अनुसूचित जन वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशी ही तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित उस पद तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिभूति राशी ही जमा करनी होगी प्रतिभृति राशी ही जमा करनी होगी तथा जमा करनी होगी तथा अनुसूचित जाति / से सम्बंधित कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन अनुसूचित जन जाति से सम्बंधित विहित तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित

	चुनाव लड़ता है तो	जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित	प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति	जन जाति से सम्बंधित विहित
	युनाव लड़ता हता	जाति/अन्य ।पछड़ा वर्ग स सम्बाधत 	त्राधिकारा द्वारा जारा किया गया जाति	जन जाति सं सम्बाधत ।वाहत
	प्रतिभूति राशी कितनी	विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया	प्रणाम पत्र की प्रतिलिपि भी देनी होगी ।	प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया
	है ?	जाति प्रणाम पत्र की प्रतिलिपि भी देनी		जाति प्रणाम पत्र की प्रतिलिपि भी
		होगी ।		देनी होगी ।
23	प्रतिभूति राशी को	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	वापिस करना या जब्त	नियम, 1994 के नियम 81 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 38 (2)	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	करने बारे क्या प्रावधान	सभी पदों के लिए प्रतिभूति राशि वापिस	(3) अनुसार प्रतिभूति राशि वापिस या	39 (2) (3) अनुसार प्रतिभूति
	है?	या जब्त करने बारे निम्न प्रावधान है:-	जब्त करने बारे निम्न प्रावधान है:-	राशि वापिस या जब्त करने बारे निम्न
		( क) यदि कोई प्रत्याशी आयोग	( क) यदि कोई प्रत्याशी आयोग	प्रावधान है:-
		द्वारा निर्धारित दिनांक व् समय को अपना	द्वारा निर्धारित दिनांक व् समय को अपना	( क) यदि कोई प्रत्याशी
		नामांकन वापिस ले लेता है तो उसे	नामांकन वापिस ले लेता है तो उसे	आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक व् समय
		प्रतिभूति राशि तुरंत वापिस की जाएगी ।	प्रतिभूति राशि तुरंत वापिस की जाएगी ।	को अपना नामांकन वापिस ले
		( ख) यदि किसी प्रत्याशी की	( ख) यदि किसी प्रत्याशी की	लेता है तो उसे प्रतिभूति राशि तुरंत

मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि उसके वारिस को वापिस की जाएगी ⊥ ग) जो प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा उसे प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी ा घ) यदि किसी प्रत्याशी को कुल डाले गये वैध मतों का छटवां भाग प्राप्त नही होता है तो उस प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी बाकि सभी प्रत्याशियों की प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी ፲

मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसी
स्थिति में प्रतिभूति राशि उसके वारिस को
वापिस की जाएगी ፲
(ग) जो प्रत्याशी चुनाव में

( ग) जो प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा उसे प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी I

( घ) यदि किसी प्रत्याशी को कुल डाले गये वैध मतों का छटवां भाग प्राप्त नही होता है तो उस प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी बाकि सभी प्रत्याशियों की प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी I

वापिस की जाएगी ।

( ख) यदि किसी प्रत्याशी की मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि उसके वारिस को वापिस की जाएगी प्र ( ग) जो प्रत्याशी चुनाव में

विजयी होगा उसे प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी ፲

( घ) यदि किसी प्रत्याशी को कुल डाले गये वैध मतों का छटा भाग प्राप्त नहीं होता है तो उस प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी बाकि सभी प्रत्याशियों की प्रतिभूति

				राशि वापिस की जाएगी ፲
24	क्या स्थानीय निकायों	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	के निर्वाचन लड़ने के	1994 व् हिमाचल प्रदेश पंचायती राज	1994) व्हिमाचल प्रदेश नगर निगम	अधिनियम, 1994 व् हिमाचल
	लिए कोई शैक्षणिक	(निर्वाचन) नियम, 1994 में	निर्वाचन नियम , 2012 में नगर निगम	प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम ,
	योग्यता निर्धारित की	पंचायती राज संस्थाओ के निर्वाचन लड़ने	के निर्वाचन लड़ने के लिए कोई भी	2015 में नगरपालिका के निर्वाचन
	गयी है ?	के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता	शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नही की गयी	लड़ने के लिए कोई भी शैक्षणिक
		निर्धारित नही की गयी है ।	है	योग्यता निर्धारित नही की गयी है ।
25	यदि चुनाव प्रक्रिया के	यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी	यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी	यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी
	दौरान किसी अभ्यर्थी	अभ्यर्थी का अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न पैदा	अभ्यर्थी का अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न पैदा	अभ्यर्थी का अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न
	का अयोग्यता सम्बन्धी	होता है तो सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी	होता है तो सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी	पैदा होता है तो सम्बंधित रिटर्निंग
	प्रश्न पैदा होता है	इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा और रिटर्निंग	इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा और रिटर्निंग	अधिकारी इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा
	तो उसका निर्णय कौन	अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।	अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।	और रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय
	लेगा ?			अंतिम होगा ।

26	निर्वाचन खर्चो की	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	अधिकतम सीमा क्या है	नियम, 1994 के नियम 92 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 48 अनुसार	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	?	जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन के लिए	पार्षद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय	48 अनुसार सदस्य के निर्वाचन के
		निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1.00	की अधिकतम सीमा 1.00 लाख रुपए है	लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम
		लाख रुपए है । पंचायत समिति सदस्य ,		सीमा निम्न प्रकार से है : -
		प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्य के लिए		नगरपरिषद् के सदस्य के लिए:-
		अधिनियम व् नियम में निर्वाचन खर्चों की		75000
		सीमा निर्धारित नही की गयी है ।		नगर पंचायत के सदस्य के लिए : –
				50000
27	निर्वाचन व्यय कब से	किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र	किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र	किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र
	कब तक संधारित किया	दायर करने से लेकर परिणाम घोषित होने	दायर करने से लेकर परिणाम घोषित होने	दायर करने से लेकर परिणाम घोषित
	जाना अनिवार्य हैं ?	तक जो भी खर्चा किया जाता है उसे	तक जो भी खर्चा किया जाता है उसे	होने तक जो भी खर्चा किया जाता है
		संधारित किया जाना चाहिए । इसमें	संधारित किया जाना चाहिए । इसमें	उसे संधारित किया जाना चाहिए ।
		नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किए	नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किए	इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने के

		जाने वाला व्यय तथा परिणाम घोषित	जाने वाला व्यय तथा परिणाम घोषित	लिए किए जाने वाला व्यय तथा
		होने के दिनांक तक किया गया खर्चा भी	होने के दिनांक तक किया गया खर्चा भी	परिणाम घोषित होने के दिनांक तक
		सम्मिलित किया जाएगा ।	सम्मिलित किया जाएगा ।	किया गया खर्चा भी सम्मिलित किया
				जाएगा
28	निर्वाचन खर्चो के ब्यौरे	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	को किस दिनांक तक	1994 की धारा 121ख अनुसार	1994 की धारा 13ख अनुसार निर्वाचन	अधिनियम, 1994 की धारा 17ख
	फाइल किया जाना	निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के 30	का परिणाम घोषित होने के 30 दिन के	अनुसार निर्वाचन का परिणाम घोषित
	अनिवार्य है तथा क्या	दिन के भीतर प्ररूप 44, 45 व् 46 पर	भीतर प्ररूप 29 व् 30 पर रिटर्निंग	होने के 30 दिन के भीतर प्ररूप 28,
	इस के लिए कोई फॉर्म	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) –	अधिकारी-एवं-उपायुक्त के कार्यालय में	29 व् 30 पर रिटर्निंग अधिकारी -
	निर्धारित किया गया है	एवं-उपायुक्त के कार्यालय में जमा	जमा करवाना अनिवार्य होता है ।	एवं-उप-मंडलाधिकारी (ना0) के
	?	करवाना अनिवार्य होता है ।		कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य
				होता है ।
29	निर्वाचन खर्चो के ब्यौरे	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज	हिमाचल प्रदेश नगर निगम	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका

को फाइल नही किए जाने या निर्धारित सीमा से अधिक राशी व्यय करने पर क्या कारवाई की जा सकती है?

(6क) अनुसार निर्वाचन खर्चो के (5क) अनुसार निर्वाचन खर्चो के (6क) अनुसार निर्वाचन खर्चो के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशी लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशी लिए निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना भ्रष्ट आचरण है तथा व्यय करना भ्रष्ट आचरण है तथा राशी व्यय करना भ्रष्ट आचरण है उपरोक्त अधिनियम की धारा 122 उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा (खख) अनुसार पंचायत पदाधिकारी (घघ) अनुसार पदाधिकारी चुने जाने 16 (घघ) अनुसार पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए इसे या होने के लिए इसे अयोग्यता माना चुने जाने या होने के लिए इसे अयोग्यता माना गया है | इसके गया है | इसके अतिरिक्त हिमाचल अयोग्यता माना गया है | इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायत प्रदेश नगर निगम (पदाधिकारियों की (पदाधिकारियों की अयोग्यता ) नियम, अयोग्यता) नियम, 2022 के नियम 4 नगरपालिका (पदाधिकारियों की 2015 के नियम 4 के अनुसार निर्वाचन के अनुसार निर्वाचन खर्ची के ब्यौरे को अयोग्यता) नियम, 2001 के नियम खर्चों के ब्यौरे को फाइल नहीं किए नहीं किए जाने या निर्धारित सीमा 4 के अनुसार निर्वाचन खर्चों के जाने या निर्धारित सीमा से अधिक से अधिक राशी व्यय करने पर 5 ब्यौरे को फाइल नहीं किए जाने

अधिनियम, 1994 की धारा 180 अधिनियम, 1994 की धारा 21 अधिनियम, 1994 की धारा 301 अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश

		राशी व्यय करने पर 5 वर्षों के लिए	वर्षो के लिए अयोग्य घोषित किया जा	या निर्धारित सीमा से अधिक
		अयोग्यता निर्धारित है	सकता है ।	राशी व्यय करने पर 5 वर्षों के लिए
				अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
30	स्थानीय निकायों का	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम,	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	कार्यकाल क्या होता है	1994 की धारा 120 अनुसार पंचायत	1994 की धारा 5 अनुसार नगर निगम	अधिनियम, 1994 की धारा 14
	?	का कार्यकाल पंचायत की प्रथम	का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5	अनुसार नगरपालिका का कार्यकाल
		बैठक से 5 वर्ष तक रहता है यदि	वर्ष तक रहता है यदि उपरोक्त अधिनियम	प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक रहता है
		उपरोक्त अधिनियम की किसी धारा के	की किसी धारा के अंतर्गत उस नगर निगम	यदि उपरोक्त अधिनियम की किसी
		अंतर्गत उस पंचायत को विघटित नहीं	को विघटित नहीं किया जाता है ।	धारा के अंतर्गत उस नगरपालिका को
		किया जाता है ।		विघटित नहीं किया जाता है ।
31	क्या कोई सरकारी	केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम,	केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम,	केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण)
	कर्मचारी किसी प्रत्याशी	1964 के नियम 5 (4) अनुसार कोई	1964 के नियम 5 (4) अनुसार कोई	नियम, 1964 के नियम 5 (4)
	का प्रस्तावक हो सकता	भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से	भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से	अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी

	है ?	चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता हैं	चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता हैं ।	किसी भी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में
				भाग नहीं ले सकता हैं ।
32	मतदान एजेंट के रूप में	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	किस व्यक्ति की नियुक्ति	नियम, 1994 के नियम 44 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 46 अनुसार	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	की जा सकती है ?	कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन एजेंट	कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन एजेंट	46 अनुसार कोई भी प्रत्याशी या
		मतदान एजेंट के रूप में ऐसे व्यक्ति की	मतदान एजेंट के रूप में किसी भी व्यक्ति	उसका निर्वाचन एजेंट मतदान एजेंट के
		नियुक्ति कर सकते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र	की नियुक्ति कर सकते हैं ।	रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर
		से निर्वाचन लड़ने की योग्यता रखता हो।		सकते हैं ।
<u>33</u>	क्या कोई सरकारी	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	कर्मचारी किसी प्रत्याशी	1994 की धारा 158ड. के अनुसार	1994 की धारा 30च के अनुसार यदि	अधिनियम, 1994 की धारा 30ड
	के निर्वाचन /मतदान	यदि सरकारी सेवा का कोई व्यक्ति किसी	सरकारी सेवा का कोई व्यक्ति किसी	के अनुसार यदि सरकारी सेवा का कोई
	/मतगणना एजेंट के	प्रत्याशी के लिए निर्वाचन /मतदान	प्रत्याशी के लिए निर्वाचन /मतदान	व्यक्ति किसी प्रत्याशी के लिए
	रूप में कार्य कर सकता	/मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है	/मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है	निर्वाचन / मतदान / मतगणना एजेंट के

	है?	तो उस व्यक्ति को तीन माह तक की	तो उस व्यक्ति को तीन माह तक की	रूप में कार्य करता है तो उस व्यक्ति को
		कारावास जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा	कारावास जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा	तीन माह तक की कारावास जुर्माना या
		सकती है ।	सकती है ।	दोनों सजाएं दी जा सकती है ।
34	मतगणना एजेंट के रूप	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	में किस व्यक्ति की	नियम, 1994 के नियम 45 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 77(4) में	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	नियुक्ति की जा सकती	कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन	मतगणना एजेंट की नियुक्ति का प्रावधान	77 (4) में मतगणना एजेंट की
	है?	एजेंट, मतगणना एजेंट के रूप में ऐसे	हैं ।	नियुक्ति का प्रावधान हैं ।
		व्यक्ति की नियुक्ति कर सकत है जो		
		निर्वाचन लड़ने या मतदाता होने के लिए		
		अयोग्य घोषित नही किया गया है ।		
<u>35</u>	क्या किसी प्रत्याशी	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन
	द्वारा निर्वाचन एजेंट की	नियम, 1994 के नियम 43 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 45 अनुसार	नियम, 2015 के नियम 45
	नियुक्ति की जा सकती	कोई भी प्रत्याशी जो निर्वाचन एजेंट की	कोई भी प्रत्याशी जो निर्वाचन एजेंट की	अनुसार कोई भी प्रत्याशी जो निर्वाचन

	है ?	नियुक्ति करना चाहता है तो वह प्रत्याशी	नियुक्ति करना चाहता है तो वह प्रत्याशी	एजेंट की नियुक्ति करना चाहता है तो
		नामांकन पत्र जमा करते समय या	नामांकन पत्र जमा करते समय या	वह प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करते
		निर्वाचन से पूर्व अपने निर्वाचन एजेंट की	निर्वाचन से पूर्व अपने निर्वाचन एजेंट की	समय या निर्वाचन से पूर्व अपने
		नियुक्ति कर सकता है ।	नियुक्ति कर सकता है ।	निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति कर सकता
				है।
<u>36</u>	यदि किसी प्रत्याशी की	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन
	मृत्यु निर्वाचन प्रक्रिया	नियम, 1994 के नियम 48 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 49 अनुसार	नियम, 2015 के नियम 49 अनुसार
	के दौरान हो जाती है	यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु निर्वाचन	यदि कोई प्रत्याशी जिसे किसी राजनितिक	यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु निर्वाचन
	तो क्या मतदान प्रक्रिया	प्रक्रिया के दौरान हो जाती है और इसकी	दल द्वारा नामित किया गया हो की मृत्यु	प्रक्रिया के दौरान हो जाती है और
	जारी रहेगी ?	सूचना मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हो जाती है	इसकी सूचना मतदान आरम्भ होने से
		जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि प्रत्याशी	और इसकी सूचना मतदान आरम्भ होने से	पूर्व प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में
		एक से अधिक है , तो निर्वाचन प्रक्रिया	पूर्व प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में	यदि प्रत्याशी एक से अधिक है तो
		जारी रहेगी परन्तु यदि एक ही प्रत्याशी	निर्वाचन प्रक्रिया जारी नहीं रहेगी तथा	निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी परन्तु

			<u></u>	<u>,                                      </u>
		शेष रह जाए तो ऐसी स्थिति में मतदान	राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार	यदि एक ही प्रत्याशी शेष रह जाए तो
		नहीं होगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग के	मतदान प्रक्रिया नये रूप से आरम्भ की	ऐसी स्थिति में मतदान नहीं होगा तथा
		निर्देश अनुसार मतदान प्रक्रिया नये रूप से	जाएगी ।	राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश
		आरम्भ की जाएगी ।		अनुसार मतदान प्रक्रिया नये रूप से
				आरम्भ की जाएगी ।
<u>37</u>	मतदान समाप्ति के लिए	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	निर्धारित समय से	1994 की धारा 158ख अनुसार मतदान	1994 की धारा 24(2) अनुसार	अधिनियम, 1994 की धारा 304ख
	कितने समय पहले	समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48	मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से	अनुसार मतदान समाप्ति के लिए
	सार्वजनिक सभाओं को	घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं के आयोजन	48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं के	निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व
	आयोजित नहीं किया	एवं संबोधन पर प्रतिबन्ध होता है ।	आयोजन एवं संबोधन पर प्रतिबन्ध होता	सार्वजनिक सभाओं के आयोजन एवं
	जा सकता हैं ?		है ।	संबोधन पर प्रतिबन्ध होता है ।
38	चुनाव याचिका दायर	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	करने की अवधि क्या	1994 की धारा 163(1) अनुसार	1994 की धारा 14(1) अनुसार	अधिनियम, 1994 की धारा
	•			

	है?	चुनाव याचिका चुनाव परिणाम के	चुनाव याचिका चुनाव परिणाम के	284 (1) अनुसार चुनाव याचिका
		प्रकाशन से 30 दिन के भीतर दायर	प्रकाशन से 30 दिन के भीतर दायर	चुनाव परिणाम के प्रकाशन से 30
		करनी होती है । परन्तु यदि कोई	करनी होती है ।	दिन के भीतर दायर करनी होती है ।
		पदाधिकारी निर्वाचन लड़ने के लिए		
		अयोग्य था तथा उसकी यह अयोग्यता		
		उसके निर्वाचित होने के बाद भी रहती है		
		तो ऐसी स्थिति में 30 दिन की समय		
		अवधि लागु नही होती है ।		
39	चुनाव याचिका किस	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	अधिकारी के पास दर्ज	1994 की धारा 161 अनुसार चुनाव	1994 की धारा 14(1) अनुसार	अधिनियम, 1994 की धारा 282
	करायी जा सकती है?	याचिका ग्राम पंचायत तथा पंचायत	चुनाव याचिका पार्षद के निर्वाचन के	अनुसार चुनाव याचिका सदस्य नगर
		समिति के निर्वाचन के लिए सम्बंधित	लिए मण्डलायुक्त के समक्ष दायर की जा	पालिका तथा सदस्य नगर पंचायत के
		उप-मंडलाधिकारी (ना0) तथा जिला	सकती है ।	निर्वाचन के लिए सम्बंधित उप –

		परिषद् के निर्वाचन के लिए जिला		मंडलाधिकारी (ना0) के समक्ष दायर
		उपायुक्त के समक्ष दायर की जा सकती है		की जा सकती है ।
40	चुनाव याचिका दायर	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन
	करने के लिए कितनी	नियम, 1994 के नियम 95 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 90 अनुसार	<b>नियम,</b> 2015 के नियम 95
	प्रतिभूति राशी जमा	300/- रूपए की राशी सरकारी खजाने	3000/- रूपए की राशी सरकारी	अनुसार 2000/- रूपए की राशी
	करनी होती है?	(Government Treasury) या	खजाने (Government	सरकारी खजाने (Government
		उप-खजाने में प्रतिभूति के रूप में जमा	Treasury) याउप -खजानेमें	Treasury) या उप -खजाने में
		करनी होती है ।	प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होती है ।	प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होती है
41	चुनाव याचिका के	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ,	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	विरुद्ध अपील दायर	1994 की धारा 161 अनुसार अपील	नियम, 2012 के नियम 94 अनुसार	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	करने के लिए अपीलीय	ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के	चुनाव याचिका के विरुद्ध अपील वित्त	99 अनुसार चुनाव याचिका के विरुद्ध
	अधिकारी कौन है?	निर्वाचन के लिए उप –मंडलाधिकारी	आयुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष	अपील निदेशक शहरी विभाग के

		(ना0) के आदेश के विरुद्ध जिला उपायुक्त तथा जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए जिला उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध मण्ड लायुक्त के समक्ष दायर की जा सकती है ।	दायर की जा सकती है	समक्ष दायर की जा सकती है ।
42	चुनाव याचिका के	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन
	विरुद्ध अपील दायर	नियम, 1994 के नियम 99(1)	नियम, 2012 के नियम 94(1)	नियम, 2015 के नियम 99(1)
	करने की अवधि क्या	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के आदेश	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के आदेश	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के आदेश
	है?	पारित करने के 30 दिन के भीतर अपील	पारित करने के 30 दिन के भीतर अपील	पारित करने के 30 दिन के भीतर
		दायर की जा सकती है	दायर की जा सकती है	अपील दायर की जा सकती है
43	चुनाव याचिका के	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	विरुद्ध अपील दायर	नियम, 1994 के नियम 99(3)	नियम, 2012 के नियम 94(3)	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	करने के लिए कितनी	अनुसार 300/- रूपए की राशी सरकारी	अनुसार 3000/- रूपए की राशी	94 (3) अनुसार 2500/- रूपए

	फीस जमा करनी होती	खजाने (Government	सरकारी खजाने (Government	की राशी सरकारी खजाने
	है?	Treasury) या उप -खजाने में फीस	Treasury) या उप -खजाने में फीस	(Government Treasury)
		के रूप में जमा करनी होती है ।	के रूप में जमा करनी होती है ।	या उप-खजाने में फीस के रूप में जमा
				करनी होती है ।
44	क्या किसी मतदाता की	<b>जी हाँ ,</b> हिमाचल प्रदेश पंचायत राज	<b>जी हाँ ,</b> हिमाचल प्रदेश नगर निगम	जी हाँ, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
	पहचान को चुनौती दी	(निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम	निर्वाचन नियम , 2012 के नियम 71	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	जा सकती है और ये	58(1) अनुसार कोई प्रत्याशी ,	अनुसार कोई प्रत्याशी , निर्वाचन एजेंट	71 अनुसार कोई प्रत्याशी , निर्वाचन
	चुनौती कौन दे सकता है	निर्वाचन एजेंट एवं मतदान एजेंट किसी	एवं मतदान एजेंट किसी भी मतदाता की	एजेंट एवं मतदान एजेंट किसी भी
	तथा इसके लिए क्या	भी मतदाता की पहचान को पीठासीन	पहचान को पीठासीन अधिकारी के समक्ष	मतदाता की पहचान को पीठासीन
	कोई फीस जमा करनी	अधिकारी के समक्ष चुनौती दे सकता है ।	चुनौती दे सकता है   इस चुनौती के साथ	अधिकारी के समक्ष चुनौती दे सकता है
	होती है ?	इस चुनौती के साथ 200/- रूपए की	20/- रूपए की राशी पीठासीन	। इस चुनौती के साथ 20/- रूपए
		राशी पीठासीन अधिकारी के पास जमा	अधिकारी के पास जमा करवानी होती है	की राशी पीठासीन अधिकारी के पास
		करवानी होती है ।	1	जमा करवानी होती है
45	मतदाता की पहचान को	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन

	चुनौती फीस जमा	नियम, 1994 के नियम 58 (5)	नियम, 2012 के नियम 71(3)	नियम, 2015 के नियम 71(3)
	करने की क्या प्रक्रिया है	अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी को	अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी को	अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी को
	?	लगता है कि चुनौती तुच्छ थी और	लगता है कि चुनौती तुच्छ थी और	लगता है कि चुनौती तुच्छ थी और
		सद्भावना पूर्वक नही की थी तो पीठासीन	सद्भावना पूर्वक नही की थी तो पीठासीन	सद्भावना पूर्वक नही की थी तो
		अधिकारी फीस को जब्त कर सकता है	अधिकारी फीस को जब्त कर सकता है	पीठासीन अधिकारी फीस को जब्त कर
		और इस राशी को राज्य सरकार के सपुर्द	और इस राशी को राज्य सरकार के सपुर्द	सकता है और इस राशी को राज्य
		कर सकता है अन्यथा यह राशी चुनौती देने	कर सकता है अन्यथा यह राशी चुनौती	सरकार के सपुर्द कर सकता है अन्यथा
		वाले को वापिस कर दी जाएगी।	देने वाले को वापिस कर दी जाएगी।	यह राशी चुनौती देने वाले को वापिस
				कर दी जाएगी ।
46	पोल ड्यूटी मतपत्र किसे	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन
	जारी किया जा सकता	नियम, 1994 के नियम 49-क	नियम, 2012 के नियम 63 अनुसार	नियम, 2015 के नियम 63
	है ?	अनुसार जो मतदाता उसी विकास खंड में	जो मतदाता चुनाव ड्यूटी दे रहा है और	अनुसार जो मतदाता चुनाव ड्यूटी दे
		चुनाव ड्यूटी देता है जंहा उसका नाम	उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो	रहा है और उसका नाम मतदाता

	1			
		मतदाता सूची में दर्ज है तो ऐसा मतदाता	ऐसा मतदाता पोल ड्यूटी मतपत्र के	सूची में दर्ज है तो ऐसा मतदाता पोल
		पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से मतदान	माध्यम से मतदान कर सकता है ।	ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से मतदान
		कर सकता है ।		कर सकता है ।
47	मतदाता, मतदान दल	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन
	तथा मतदान एजेंट के	नियम, 1994 के नियम 55 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 61 अनुसार	नियम, 2015 के नियम 61
	अतिरिक्त कौन व्यक्ति	मतदाता, मतदान दल तथा मतदान	मतदाता, मतदान दल , उम्मीदवार	अनुसार मतदाता, मतदान दल ,
	पोलिंग स्टेशन में प्रवेश	एजेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति	तथा मतदान एजेंट के अतिरिक्त	उम्मीदवार तथा मतदान एजेंट के
	कर सकता है ?	पोलिंग स्टेशन में प्रवेश कर सकते है : –	निम्नलिखित व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश	अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति पोलिंग
		(क) निर्वाचन अधिकारी	कर सकते है : -	स्टेशन में प्रवेश कर सकते है : –
		(ख) कोई लोक सेवक जिसे निर्वाचन	(क) निर्वाचन अधिकारी	(क) निर्वाचन अधिकारी
		से सम्बंधित ड्यूटी के लिए रखा गया है	(ख) प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता	(ख) प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता
			(ग) रिटर्निंग अधिकारी एवं उनके	(ग) रिटर्निंग अधिकारी एवं उनके
		(ग) राज्य निर्वाचन आयोग / जिला	द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।	द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।

		निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या	(घ) कोई लोक सेवक जिसे निर्वाचन	(घ) कोई लोक सेवक जिसे
		रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई	से सम्बंधित ड्यूटी के लिए निर्वाचन	निर्वाचन से सम्बंधित ड्यूटी के लिए
		व्यक्ति ।	प्राधिकारी द्वारा  रखा गया है	निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा रखा गया
		(घ) प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता	(ड.) मतदाता की गोद में शिशु	है
		तथा नियमानुसार प्रत्येक प्रत्याशी का	अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथ कोई	(ड.) मतदाता की गोद में शिशु
		एक मतदान अभिकर्ता ।	साथी	अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथ
		(ड.) मतदाता की गोद में शिशु	(च) पीठासीन अधिकारी द्वारा	कोई साथी
		(च) अंधे या शिथिलांग मतदाता के	मतदाताओं की पहचान के लिए नियुक्त	(च) पीठासीन अधिकारी द्वारा
		साथ कोई साथी	कोई व्यक्ति ।	मतदाताओं की पहचान के लिए नियुक्त
		(छ) रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन	(छ) राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं उनके	कोई व्यक्ति ।
		अधिकारी द्वारा मतदाताओं की पहचान	द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति	(छ) राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं
		के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ।		उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति
48	निविदत मत	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका
48	निविदत मत	हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन)	हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका

	(Tendered Vote)	नियम, 1994 के नियम 63 अनुसार	नियम, 2012 के नियम 70 अनुसार	निर्वाचन नियम , 2015 के नियम
	किसे कहते है ?	यदि कोई व्यक्ति वास्तविक मतदाता होने	यदि कोई व्यक्ति वास्तविक मतदाता होने	70 अनुसार यदि कोई व्यक्ति
		का दावा करता है और उसके नाम से कोई	का दावा करता है और उसके नाम से कोई	वास्तविक मतदाता होने का दावा
		व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका हो तो	व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका हो तो	करता है और उसके नाम से कोई व्यक्ति
		ऐसे वास्तविक मतदाता को जो मतपत्र	ऐसे वास्तविक मतदाता को जो मतपत्र	पहले ही मतदान कर चुका हो तो ऐसे
		जारी किया जाता है उसे निविदत मत	जारी किया जाता है उसे निविदत मत	वास्तविक मतदाता को जो मतपत्र
		कहते है	कहते है	जारी किया जाता है उसे निविदत मत
				कहते है
49	क्या निविदत मत को	निविदत मतपत्र को बैलट बॉक्स में नहीं	निविदत मतपत्र को बैलट बॉक्स में नहीं	निविदत मतपत्र को बैलट बॉक्स में
	बैलट बॉक्स में डाला	डाला जाता है । इसे राज्य निर्वाचन	डाला जाता है । इसे राज्य निर्वाचन	नहीं डाला जाता है   इसे राज्य
	जाता है या नहीं ?	आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे में सीलबंद	आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे में सीलबंद	निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित
		कर दिया जाता है ।	कर दिया जाता है ।	लिफाफे में सीलबंद कर दिया जाता है
<u>50</u>	क्या निविदत मत की	निविदत मतपत्र की गणना नहीं की जाती	निविदत मतपत्र की गणना नहीं की जाती	निविदत मतपत्र की गणना नहीं की

गणना की जाती है नहीं	है	है	जाती है ।
?			